नगर निगम शिमला

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित की गई दुकानों, स्टोरो के आबंटन/संचालन हेतू दिनांक 10.12.2024 को 2:00 बजे तक मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएं उसी दिन सायं 3.00 बजे रोटरी टॉउन हॉल, शिमला के कार्यालय कक्ष में गठित समिति के समक्ष निविदा खोलने हेतु इच्छुक निविदाकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाऐगी।

जिन सम्पतियों की निविदाऐं आमंत्रित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Sr. No.	Particular	Area in Sq. Ft..	Period	Security Money	Reserve Price P.A.
1.	Shop No.-1 Parimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
2.	Shop No.-2 Parimehal Chowk, Kasumpti Shimla	133.10 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
3.	Shop No.-1 (Ground Floor) near Milk Plant Totu Shimla	84.25 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
4.	Shop No.-2 (Ground Floor) near Milk Plant Totu Shimla	84.25 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
5.	Shop No.-3 (f.f) near Milk Plant Totu Shimla	76.39 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
6.	M. C. Shop No.-7 Tutikandi, Shimla	65.00 Sq. ft.	11 Months	Rs. 30,000/-	Rs. 60,000/- P.A.
7.	M. C. Shop No.-10 Vikas Nagar Shimla	30.00 Sq. ft.	11 Months	Rs. 20,000/-	Rs. 36,000/- P.A.
8.	M. C. Hall at Amar Bhawan Parking (GF) Jakhu Shimla	650.00 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
9.	Shop Opposite Nathu Sweet Shop Lower Bazar Shimla	27.56 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
10.	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 339	58.69 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
11.	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 341	60.92 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
12.	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 343	60.92 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
13.	Aajivika Bhawan Shimla 3rd Floor Shop No. 537	60.75 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
14.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 637	53.39 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
15.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 638	55.37 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
16.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 641	55.08 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
17.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 644	60.75 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
18.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 647	60.75 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
19.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 648	62.56 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.
20.	Aajivika Bhawan Shimla 6th Floor Shop No. 649	62.02 Sq. ft.	11 Months	Rs. 50,000/-	Rs. 1,20,000/- P.A.

नियम व शर्तें:

1. निर्धारित शर्तो की पूर्ति व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा रद्ध कर दी जाएगी और उन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जायेगा।
2. उपरोक्त चार्ट में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ़्ट के रूप में ही स्वीकार की जायेगी तथा किसी अन्य प्रकार की धरोहर राशि की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ़्ट अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त, नगर निगम शिमला के नाम प्रेषित कर मोहर बन्द निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
3. सफल उच्चतम निविदाकार द्वारा भरी गई वार्षिक उच्चतम निविदा/किराया राशि 25 प्रतिशत किराया राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) का भुगतान आबंटन पत्र की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर–भीतर निगम कोश में करवाना अनिवार्य होगा तथा बकाया 75% किराया राशि के 10 मासिक उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक जो आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम के नाम भरे गए हो, को कब्जा लेने से पूर्व संम्पदा शाखा में जमा करने अनिर्वाय होगें, अन्यथः शर्तो की उल्लघना करने पर सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए आंवटन पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा द्वितीय सफल निविदाकार को कब्जा सौंपने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
4. सफल उच्चतम निविदाकार को निविदाओं की शर्त न. 3 में दर्शाई गई शर्तों के अतिरिक्त वार्षिक भरी गई उच्चतम निविदा/किराया राशि की 25 प्रतिशत किराया राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) का भुगतान व वकाया 75 प्रतिशत किराया राशि के 10 मासिक उत्तर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक जो आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम के नाम भरे गए हो, को प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के उपरान्त (प्रतिवर्ष) 10 वर्षो तक निरन्तर वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में निगम की संपदा शाखा को जमा करना अनिर्वाय होगा। अन्यथा बिना किसी नोटिस के किया गया आंबटन रद्द कर दिया जायेगा।

5. सफल निविदाकार को निविदा राशि पर केन्द्र / राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18 प्रतिशत माल व सेवाकर अतिरिक्त देय होगा , तथा माल व सेवाकार निविदा राशि की दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा। यदि केंद्र सरकार / राज्य सरकार, नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाया जाता है अथवा निर्धारित करों में संशोधन किया जाता है, तो निविदाकार को यथानुसार इनका अतिरिक्त तौर पर भुगतान करना होगा।

6. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जायेगा, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

7. प्रत्येक सफल निविदाकार यदि आबंटित की गई संपति को आबटित समयावधि के भीतर निगम को कब्जा वापिस सौंपता है तो जमा की गई प्रतिभूति / धरोहर राशि को बिना किसी नोटिस के जब्त कर लिया जायेगा।

8. निविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का निविदा खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

9. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायलय अधिकार क्षेत्र नगर निगम शिमला होगा।

10. निविदा खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो प्राप्त निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर खोली जायेगी।

11. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टेंडर फार्म में साफ अंको व शब्दों में लिखनी होगी जिसमें किसी भी प्रकार की कटिंग व ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। टैण्डर फार्म नगर निगम शिमला की वैबसाईट से डाउनलोड कर अथवा नगर निगम शिमला की संपदा शाखा से किसी भी कार्य दिवस पर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

12. निविदाकार को मोहरबन्द लिफाफे पर निविदा का नाम जिसके लिए निविदा भरी गई है, को लिखना अनिवार्य होगा, जैसे दुकान, बुक कैफे, स्टोर इत्यादि हेतु।

13. निविदायें अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखें निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि व समय से पहले डालनी होगी। समय सीमा के समाप्त होते ही निविदा बॉक्स को बन्द / सील कर दिया जायेगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत कोई भी निविदा स्वीकार नहीं होगी तथा केवल बॉक्स में डाली गई निविदा ही स्वीकार होगी।

14. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है, तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि के एक दिन पूर्व सांय 5:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिये अन्यथा देर से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।

15. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी संपत्ति दुकानों / स्टालों आदि का देनदार पाया गया तो जो उसकी निविदा है, उसे रद्ध कर दिया जाएगा। और ऐसे निविदाकार के बारे वाद में पता लगने पर भी उसकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगी ।

16. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा निर्धरित अनुबंध एवं शर्तों के अनुसार इकरारनामा / पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के भीतर निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा को रद्द समझी जाएगी।

17. जिस भी निविदाकार के पास वर्तमान में निगम की कोई भी संपत्ति जैसे दुकान / स्टाल / कैन्टीन इत्यादि का ठेका है, वह यदि उक्त दर्शायी गई निविदा में भाग लेता है अथवा टैन्डर फॉर्म भरकर निविदा बॉक्स में डालता है, तो भरी गयी निविदा मान्य नहीं होगी तथा निविदा स्वतः ही रद्द समझी जाएगी।

18. निविदाओं के अनुबन्ध व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपत्ति अथवा सुझाव हो तो वह संबंधित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपत्तियां / सुझाव दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपत्ति / सुझाव मान्य नहीं होंगे।

19. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारें में अधिक जानकारी चाहता हो तो निविदाऐं भरने से पहले किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकता है।

20. आयुक्त, नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताये किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्थगित / रद्द / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

21. सफल निविदाकार को सरकार अथवा नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

22. आयुक्त, नगर निगम शिमला या उनके प्राधिकृत कर्मचारी तथा सम्पदा शाखा के सभी निरिक्षकों / कर्मचारी को पट्टा / निविदा पर आबंटित सम्पति / सम्पतियों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23. सफल उच्चतम निविदाकार को आंबटित की जाने वाली संपति / दुकान का निगम के साथ एक सप्ताह के भीतर-भीतर 11 महीनों के लिए पट्टा विलेख निष्पादित करना अनिवार्य होगा। इकरारनामा / पट्टाविलेख निष्पादित न करने की स्थिति में आंबटित संपति / दुकान की लीज रद्द समझी जायेगी तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

24. अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति पर यदि सम्पति को कोई नुक्सान पाया जाता है, तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुक्सान की भरपाई की राशि को काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी और यदि नुक्सान की भरपाई की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक की बनती है, तो उसकी वसूली सम्बन्धित निविदाकार से करने के उपरान्त ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का दिया गया कब्जा समाप्त माना जायेगा।

25. निगम की उपरोक्त सम्पतियां वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति / सुविधाओं के साथ आबंटित की जायेगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस इत्यादि की औपचारिक्ताऐं सफल निविदाकार को स्वयं अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

26. सफल निविदाकार को बिजली व पानी का मीटर लगाने हेतू अनापति प्रमाण पत्र नगर निगम की संपदा शाखा से स्वयं प्राप्त करना होगा और इनके लगाने के खर्चे व बिलों आदि का भुगतान भी स्वयं करना होगा।

27. सफल निविदाकार द्वारा विभाग को प्रत्येक माह के किराए के चैक प्रस्तुत किए जाएंगे, यदि बैंक द्वारा किसी भी रूप से **Dishonor** कर वापिस किए जाते हैं, तो निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाऐगा तथा आबंटित सम्पति को रद्द करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

28. इसके अतिरिक्त उक्त दर्शाई गई सम्पतियों के लिए आमंत्रित की गई निविदा की शर्तो से सम्बन्धित जानकारी निगम कार्यालय से किसी भी समय प्राप्त कर सकतें हैं।

29. निविदा की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतू अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट www.shimlamc.hp.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।

संयुक्त आयुक्त,
नगर निगम, शिमला।